



2026:AHC:175452

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 7415 वर्ष 2026

सर्वेश कुमार

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राधे श्याम यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर अनुपूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राधे श्याम यादव और राज्य की ओर से एजीए श्री राजीव धर द्विवेदी के तर्क सुने गए।
3. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र, आपराधिक वाद संख्या 240/2025 (धारा 103(1), 61(2) बीएनएस, थाना नवाबगंज, ज़िला फर्रुखाबाद) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि प्राथमिकी में किसी का नाम नहीं था और यह मामला एक टेम्पो ड्राइवर की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था। लेकिन जांच के दौरान, आवेदक को इस आधार पर आरोपी बनाया गया कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साज़िश रची और अन्य आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालांकि, साज़िश रचने के केवल मौखिक आरोपों के अलावा, अभिलेख पर आवेदक के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि साज़िश रचने के अलावा आवेदक पर कोई अन्य आरोप नहीं है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि आवेदक का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उस इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है और वे सभी मामले मामूली प्रकृति के थे।

6. उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में आवेदक 05.10.2025 से, यानी पिछले 10 महीनों से जेल में है।

7. इसके विपरीत, एजीए ने ज़मानत की मांग का विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों को चुनौती नहीं दे सके।

8. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने और मामले के अभिलेख को देखा।

9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मामला है और प्राथमिकी में किसी का नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान धारा 61(2) बीएनएस के तहत आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की साज़िश रची क्योंकि मृतक के आवेदक की बहू के साथ अवैध संबंध थे। लेकिन इससे यह पता चलता है कि आपराधिक साज़िश के संबंध में आवेदक के खिलाफ केवल मौखिक आरोपों के अलावा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

10. इसके अलावा, इस मामले के अलावा आवेदक का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है और सभी मामले छोटे अपराधों से संबंधित हैं।

11. साथ ही, इस मामले में आवेदक 05.10.2025 से यानी पिछले 10 महीनों से जेल में है।

12. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।



14. आवेदक - सर्वेश कुमार को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के व्यक्तिगत बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

15. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक की ज़मानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के संबंध में पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 19, 2026

शाहरोज़